न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024/54
मुकदमा नम्बर 16/2024 दर्ज दिनांक– 06.02.2024

ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र श्री कजोड़मल उर्फ कजोड जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्रीमती स्नेहलता वर्मा
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 06.05.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम ढाका की ढाणी पटवार हल्का ढाणिया नवलगढ की सरहद में भूमि खाता सं. नया 98 पुराना 47 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 193 रकबा 0.99 है0 स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र कजोड के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र कजोडमल दर्ज किया जावे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ़ की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक 1134 दिनांक 5/4/2024 पेश हुई। जिसके अनुसार प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र कजोडमल जाति जाट है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा ग्राम ढाका की ढाणी पटवार हल्का ढाणिया नवलगढ की सरहद में भूमि खाता सं. नया 98 पुराना 47 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 193 रकबा 0.99 है0 के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र कजोड के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र कजोडमल दुरूस्त व दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। पृथक से तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner